धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 44/2022(GCMS: 2022/44) **राज्य सरकार** जरिये सुरेश कुमार, जिला रसद अधिकारी, कार्यालय **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम 1. कनक श्री कैमिकल्स, डी-5-26, सुदर्शननगर, वल्लभ गार्ड के पास, बीकानेर (राजस्थान) 2. चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स, ठण्डी सरक, मलेरकोटला (पंजाब) व अन्य**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी कनक श्री कैमिकल्स, चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स एवं जीगर रोडवेज की ओर से श्री आनन्द व्यास पूर्व में लिखित बहस पेश कर चुके है और उनकी बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है। विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस भी पूर्व में सुनी जा चुकी है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी ने दिनांक 27.04.2022 से जब्तशुदा वाहन टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 की अनुमानित बाजार मूल्य का पत्र प्रेषित किया, शामिल मिसल किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2021 को दोपहर 1:15 बजे श्री राकेश सोनी, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी हमराह श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज), सूरतगढ व श्री ईकबाल सिंह वाहन चालक हाजा के साथ थानाधिकारी, राजियासर के पत्र 3235 दिनांक 19.10.2021 के क्रम में पुलिस थाना, राजियासर के परिसर में सुरक्षार्थ खड़े किये गये टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की जांच हेतु पहुंचे। मौके पर मुताबिक थानाधिकारी, पुलिस थाना, राजियासर रात्रि ड्यूटी अधिकारी श्री सत्यप्रकाश, स.उ.नि. **मिलावटी डीजल/हाइड्रोकार्बन के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर थाना क्षेत्र में रोही मोकलसर ढाणियों पर पहुंचे** पुलिस थाना की सूचना अनुसार मौके पर **टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803** **खड़े** मिले व इनके पास नीचे मिट्टी गीली हो रखी थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिसको सूंघने पर डीजल जैसी बदबू आने पर डीजल अवैध रूप से गांव में बेचना प्रतीत होन पर टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 को पुलिस थाना परिसर में खडा किया है। थाना परिसर में मौके पर ही श्री ईकबाल सिंह, वाहन चालक की सहायता से तलाशी ली गई परन्तु **टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की तलाशी में दोनों वाहनों में रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी कागजात व अन्य दस्तावेज नहीं मिला ।** वाहन की तलाशी में मौके पर वाहन टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 में एक टैक्स इन्वॉईस KS/21-22/984 (E-WAY BILL 731217724863/ 18.10.2021) Rs. 21,08,518.00 Product Description-Hydro Carban Oil जारी मिला। उक्त टैक्स इन्वॉईस (KS/21-22/984) **KANAKSHREE CHEMICALS B-5-26 (GSTN/ UIN08ADKPV7568B3ZZ) SUDERSHAN NAGAR, NEAR ALLABH GARDEN, BIKANER द्वारा M/s CHETAN OIL & CHEMICALS TANDI (GSTN/UIN 03AQKP3361J12ZX)SARAK MALER KOTLA(PUNJAB)-148023** को जारी करना पाया है। मुताबिक तहरीर पुलिस थाना, राजियासर (सूरतगढ) द्वारा उक्त दोनो वाहनों को डीटेन कर सुरक्षार्थ खडा किया था। मौके पर वाहनों के साथ ड्राईवर/चालक एवं परिचालक उपस्थित नहीं मिले। **दौरान टैंकर व पिकअप खाना तलाशी वाहनों से संबंधित काई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए एवं ना ही उक्त टैंकर व पिकअप के संबंध में टैंकर में भरे हुए तरल पदार्थ के संबंध में किसी ने भी मालिकाना हक व दावा नहीं पेश किया। टैंकर के अंदर केवल ई वे–बिल व टैक्स इन्वायस व कुछ हाथ से लिखी कुछ पर्चिया मिली जिन पर क्रमांक व दिनांक दर्ज है।** [illegible] पांच केबिन बने मिल, पहले केबिन पर 7000 लीटर, दूसरे पर [illegible] तीसरे पर 6000 लीटर व चौथे पर 7000 लीटर व पांचवे पर 7000 [illegible] अंकित हैं। पांचों केबिन उपर से लोके के ढक्कन से बंद मिले। टैंकर पर लोहे के बक्से में पांच वाल्व दिये हुये है। सैंपल लेने के पश्चात जिस लोहे के बक्शे में पांचो वाल्व लगे है उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पर ताला लगाया गया। मौके पर दौरान कार्यवाही उक्त वाहन टैंकर, टैंकर में भरे हुए तरल पदार्थ के मालिकाना हक व दावे के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही थानाधिकारी द्वारा अपनी तहरीर में वाहन के पदार्थ चालन/परिचालक व मालिक की सूचना नहीं दर्ज की हुई थी। मौके पर टैंकर वाहन GJ12-BX-9181 के चालक केबिन से प्राप्त एक लैब रिपोर्ट को साथ लिया गया। **मौके पर किसी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ का लाईसेंस/वैध दस्तावेजात/ परमिट नहीं होने के कारण समस्त पदार्थ मात्रा 27920 लीटर को जब्तराज सरकार किया गया।** जब्त किये गये तरल पदार्थ मय वाहन टैंकर व वाल्व बॉक्स को चाबिया वा वाहन टैंकर की चाबी को सफेद कपड़े के बैग में सील चपड़ी कर थाना में पदस्थापित कान्सटेबल श्री विजय कुमार की सुपुर्दगी में दिया गया व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से लिया गया। **दिनांक 25.01.2021 को श्री विनोद कुमार पुत्र संतलाल जाति स्वामी निवासी सांवलसर, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है : प्रार्थी की पिकअप जीप खाली थी उसमें कोई अवैध डीजल नहीं था व टैंकर की जब्ती की कार्यवाही उसमें भी प्रार्थी की पिकअप को जब्ती में नही लिया** लेकिन थानाधिकारी राजियासर द्वारा पिकअप को रिलीव नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पेश करने वाले **प्रार्थी श्री विनोद कुमार की ओर से ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति, गाडी की आरसी की फोटो प्रति, गाड़ी बीमा की पॉलिसी की फोटो प्रति पेश की गई। इसके उपरांत उनके कार्यालय के पत्रांक रसद/अभियोजन/ 2021–2022/6031 दिनांक 25.10.2021 द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया कि "मुताबिक जांच उक्त पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 से कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद/जब्त नहीं किया गया है। अतः इस वाहन पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की प्रकरण में कोई भी आवश्यकता नहीं हैं** इस संबंध में यदि यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वाहन पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 आपके पुलिस थाना स्तर पर किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो इसे इसके मालिक को सुर्पुद कर सूचना उनके कार्यालय को प्रेषित कर देवें। सहायक निदेशक (रसायन), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 8 मील चुंगी नाका मण्डोर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण की सैपल रिपोर्ट S.No. RFSL(JOD)/6671/CAE/155/12/103/dated 13.11.21 निम्नानुसार है:

RESULT OF EXAMINATION

The liquid sample contained in the glass bottle marked "A" did not confirm the BIS specification of Diesel (IS 1460) in respectg of density at 15^0C On basis of distillation characteristics the liquid sample contained in the glass bottle marked "A" was found to be of petroleum hydrocarbon fractions of boiling point from 190^0C to 356^0C having density 0.7719 at 15^0C and flash poing 59.5^0C(Abel).

इस प्रकार प्रकरण में बरामद जब्तशुदा 27920 लीटर तरल पदार्थ है, जिसका फ्लैश प्वाईंट 59.5^0C (Abel.) है। कनक श्री कैमिकल्स (विक्रेता) चेतन ऑयल एण्ड कैमिकलक्स (क्रेता) व 3 अन्य जो भी शामिल है द्वारा **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की अवहेलना की गई है।** इसलिए उक्त **जब्तशुदा "27920 किग्रा पेट्रोलियम पदार्थ व वाहन 01 टैंकर** ... **GJ12-BX-9181 को राजसात करने** की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार एवं अप्रार्थीगण कनक श्री कैमिकल्स, चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स एवं जिगर रोडवेज के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि दिनांक 19.10.2021 को मुख्य नेशनल हाइवे–62 पर बने गांव मोकलसर की ढाणी के पास खड़े टेकर रजि. नंम्बर जीजे 12 बीएक्स 9181 एवं पिकअप रजि. नम्बर 13 जीसी 6803 को पुलिस थाना राजियासर द्वारा रोककर थाने में लाकर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचित किया गया। बाद में जांच पिकअप के बारे मे ज्ञात होने पर कि पिकअप द्वारा टेंकर के ड्राईवर द्वारा औजार मांगने के लिए रूका हुआ होने के कारण व किसी प्रकार के कोई टेंकर से सम्बन्ध न होने के आधार पर उसे छोड़ दिया गया।

उनका आगे कथन था कि उक्त वाहन टेंकर मं 27,920 लीटर डीजल होने के आधार पर जब्त किया गया एवं सैम्पल भेजा गया जो सैम्पल जांच प्रयोगशाला से आने के पश्चात पाया कि उसका फ्लैश प्वाईंट 59.5 डिग्री सैन्टीग्रेड था जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनिमय नहीं माना एवं श्रीमान् को रिपोर्ट भेजकर वाहन व माल छोडने का कथन किया गया।

उनका आगे कथन था कि मिनरल हाईड्रो कार्बन ऑयल मात्र 27920 किलोग्राम भरा हुआ था जो कनक श्री कैमिकल बी–5–26, सुदर्शना नगर, नजदीक बल्लभ गार्डन, बीकानेर द्वारा चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल, ठण्डी सड़क, मलेरकोटला (पंजाब) के लिए **जिगर रोडवेज (मीरा ट्रांसलाईन कम्पनी) के माध्यम से ई–वे बिल के जरिये भिजवाया गया था।**

उनका आगे कथन था कि कनक श्री कैमिकल एक पंजीयत कम्पनी है जिसके द्वारा कांडला बन्दरगाह से [illegible] कर माल मंगवाया जाता है। कनक श्री कैमिकल के [illegible] दिनांक 28.09.2021 का लाईसेन्स है जिसे ए, बी एवं सी क्लास पैट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने एवं स्टोरेज की परमिशन है। उक्त वाहन में भरा मिनरल हाईड्रो कार्बन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एवं **कनक श्री कॅमिकल को बी क्लास के पैट्रोलिमय प्रोडक्ट को खरीदने व स्टोरज की 105 किलोलीटर तक की लाईसेंस परमिशन है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि द पैट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार बी व सी श्रेणी के पेट्रोलियम पदार्थ के लिमिटेड स्टोरेज के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। दी पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार "बी श्रेणी" के उत्पाद में 2500 लीटर तक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है एवं सी श्रेणी पेट्रोलियम पदार्थ हेतु 45000 लीटर तक किसी प्रकार के अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही है। उक्त **जब्तशुदा पदार्थ बी श्रेणी का उत्पाद** है एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जब्तशुदा पदार्थ का **फ्लैश प्वाईट 59.5 डिग्री सेन्टीग्रेड** रहा है। टैंकर से भरे उत्पाद की एफएसएल प्रोडक्ट है जो **27,920 किलोलीटर है जबकि कनक श्री कैमिकल्स को 105 किलो लीटर तक बी श्रेणी के उत्पाद को परिवहन व स्टोरेज की परमिशन है।**

उनका आगे कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार **वाहन में रखा माल भी स्टोरेज की श्रेणी में आता** है। **वर्तमान में उक्त माल कनक श्री कैमिकल द्वारा परिवहन कर जिगर रोडवेज के वाहन संख्या जीबी–12/बीएक्स 9181 से ई–वे बिल से 27920 लीटर तरल पदार्थ चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल, ठण्ड सड़क, मलेरकोटला पंजाब में भेजा जा रहा था।** उक्त माल ट्रांजिट में होने व चेतन ऑयल को पहुंचने से पूर्व कनक श्री कैमिकल के आधिपत्य का होने के कारण कनक श्री कैमिकल द्वारा माल परिवहन व स्टोरेज की परिभाषा में आता है।

उनका आगे कथन था कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2005 नहीं होने पर पैट्रोलियम प्रोडक्ट के आधार विलायक रफीनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डार और ऑटोमोबाईल में उपयोग में नियंत्रण) आदेश 2000 में परिवाद पेश करने की सलाह दी गई है परन्तु **इस एक्ट में भी स्टोरेज के लिए जो लाईसेंस होना चाहिए वह कनक श्री के पास है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि वाहन व माल कनक श्री कैमिकल द्वारा भेजा गया था जो **वाहन संख्या जीए 12 बीएक्स 9181 टैंकर** सहित जब्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि परिवहन व स्टोरेज की अनुज्ञप्तिधारक है। इसलिए प्रार्थीगण के जब्तशुदा वाहन व माल को मुक्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि मौके पर टैंकर व पिकअप की तलाशी में पेट्रोलियम पदार्थ मात्र 27920 लीटर को जब्तराज सरकार किया गया है। दौरान जांच/तलाशी वाहनों से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए और ना ही उक्त **टैंकर व पिकअप के संबंध में व टैंकर में भरे तरल पदार्थ के संबध में किसी ने भी मालिकाना हक व दावा पेश किया। टैंकर के अंदर के केवल ई वे–बिल व टैक्स इन्वायस व कुछ हाथ से लिखी कुछ पर्चिया मिली** जिन पर क्रमांक व दिनांक दर्ज है। जिसके आधार पर जब्तशुदा टैंकर संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 का डीजल के अवैध कारोबार में प्रयोग किया जा रहा था जिसके आधार पर वाहन संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 द्वारा मोहटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3(4)(6)(7) एवं पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 प्रावधानों की भी उल्लंघना है। इसलिए उक्त जब्तशुदा टैंकर संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 एवं 27920 लीटर तरल पदार्थ भी राजसात करने योग्य ठहरते है।

उनका आगे [illegible] कार्यवाही के दौरान वाहन टैंकर, टैंकर से भरे हुए तरल [illegible] के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ एव ना ही [illegible] तहसील में वाहन के पदार्थ चालक/परिचालक व मालिक की सूच[illegible] दर्ज की हुई है। वाहन स्वामी की सूचना के संबंध में दायित्व इस कार्यालय का नही है व **जिगर रोड़वेज (मीरा ट्रांसलाईन कम्पनी प्रकरण में पक्षकार नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि विनोद कुमार पुत्र संतलाल के प्रार्थना पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति, गाड़ी की आरसी की फोटो प्रति, गाडी बीमा की **पॉलिसी की फोटो प्रति पेश कर जीप संख्या आरजे 13/जीसी–6803 रिलिव करने की प्रार्थना करने पर उनके कर्यालय द्वारा दिनांक 25.10.2021 से थानाधिकारी को उक्त पिकअप नम्बर आरजे 13/जीसी–6803 की पुलिस थाना स्तर पर किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं को उसके मालिक को सुपुर्द करने हेतु लिखा गया।**

उनका आगे कथन था कि मौके पर अधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई लाईसेंस/वैध परमिट/अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यदि **मौके पर उनकी ओर से कोई दस्तावेज पेश किया गये होते तो उसके फर्द मौके के साथ संलग्न करके उसका विवरण फर्द मौका में अंकित किया गया होता।**

उनका आगे यह भी कथन था कि वाहन संख्या **जीजे–12/बीएक्स–9181 में उपलब्ध हाथ से लिखी पर्चिया मिली जिस पर अलग–अलग दिनांक वाहन संख्या टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 एवं एचएसडी अंकित है साथ उस पर दो स्थानों के नाम तथा दूरी आदि भी अंकित है।** अप्रार्थीगण ने हस्तलिखित पर्चीयों के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। **जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वाहन संख्या GJ12-BX-9181 का प्रयोग अवैध कारोबार में कर रहे है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि कनक श्री कैमिकल के पास **"बी श्रेणी" के पैट्रोलियम पदार्थ का 105 किलो लीटर अर्थात 105000 लीटर परिवहन एवं भण्डारण का अनुज्ञा पत्र है, [illegible] में विक्रय करने का कोई अनुज्ञा पत्र अप्रार्थीगण के पास नहीं है।** [illegible] रोडवेज के उक्त टैंकर संख्या **बीएक्स–9181 में** 27920 लीटर तरल पदार्थ कनक श्री कैमिकल, बीकानेर से चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल, मलेरकोटला (पंजाब) ले जाया जा रहा था जिसका अप्रार्थीगण ने ई–वे बिल भी पेश किया है, जिससे स्पष्ट होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कि कनक श्री कैमिकल, बीकानेर जिसके पास परिवहन एवं भण्डारण का ही अनुज्ञा पत्र होने के बावजूद चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल को विक्रय किया गया है और **चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल द्वारा कोई अनुज्ञापत्र उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हे कि चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल के पास उक्त तरल पदार्थ क्रय/परिवहन/भण्डारण करने का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि जब्तशुदा वाहन को राजसात करने की एवज में वाहन जब्ती दिनांक का बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। वाहन संख्या जीजे—12/बीएक्स—9181 का अनुमानित बाजर मूल्य 4.00 से 4.50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उनका आगे कथन था कि चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स व अन्य द्वारा 27920 लीटर टैंकर संख्या जीजे—12/बीएक्स—9181 बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र के परिवहन कर कब्जे में रखकर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की** स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जब्तशुदा 27920 लीटर तरल पदार्थ एवं टैंकर नम्बर जीजे—12/बीएक्स—9181 को राजसात किया जाकर, **वाहन राजसात की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी कनक श्री कैमिकल्स एवं चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस पर मनन कि[illegible] धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 19.10.2021 को [illegible]हर 1:15 बजे श्री राकेश सोनी, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी हमराह श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज), सूरतगढ व श्री ईकबाल सिंह वाहन चालक हाजा के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

थानाधिकारी, राजियासर के पत्र 3235 दिनांक 19.10.2021 के क्रम में पुलिस थाना, राजियासर के परिसर में सुरक्षार्थ खड़े किये गये टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की जांच हेतु पहुंचे। मौके पर मुताबिक थानाधिकारी, पुलिस थाना राजियासर रात्रि ड्यूटी अधिकारी श्री सत्यप्रकाश, स.उ.नि. **मिलावटी डीजल/हाइड्रोकार्बन के अवैध बेचान की सूचना मिलने पर थाना क्षेत्र में रोही मोकलसर ढाणियों पर पहुंचे।** पुलिस थाना की सूचना अनुसार मौके पर **टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 खड़े** मिले व इनके पास नीचे मिट्टी गीली हो रखी थी जिसको सूंघने पर डीजल जैसी बदबू आने पर डीजल अवैध रूप से गांव में बेचना प्रतीत होन पर टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 को पुलिस थाना परिसर में खडा किया है। थाना परिसर में मौके पर ही श्री ईकबाल सिंह, वाहन चालक की सहायता से तलाशी ली गई परन्तु **टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 व पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की तलाशी में दोनों वाहनों में रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी कागजात व अन्य दस्तावेज नहीं मिला** । वाहन की तलाशी में मौके पर वाहन टैंकर नम्बर GJ12-BX-9181 में एक टैक्स इन्वॉईस KS/21-22/984 (E-WAY BILL 731217724863/ 18.10.2021) Rs. 21,08,518.00Product Description-Hydro Carban Oil जारी मिला। उक्त टैक्स इन्वॉईस (KS/21-22/984) **KANAKSHREE CHEMICALS B-5-26 (GSTN/UIN08ADKPV7568B3ZZ) SUDERSHAN NAGAR, NEAR ALLABH GARDEN, BIKANER द्वारा M/s CHETAN OIL & CHEMICALS TANDI (GSTN/UIN 03AQKP[illegible])SA[illegible] MALER KOTLA(PUNJAB)-148023** को जारी करना पाया है। [illegible] पुलिस थाना, राजियासर (सूरतगढ) द्वारा उक्त दोनों वाहनों को [illegible] कर सुरक्षार्थ खडा किया था। मौके पर वाहनों के साथ ड्राईवर/चालक [illegible] परिचालक उपस्थित नहीं मिले। **दौरान टैंकर व पिकअप खाना तलाशी वाहनों से संबंधित काई दस्तावेज प्राप्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं हुए एवं ना ही उक्त टैंकर व पिकअप के संबंध में टैंकर में भरे हुए तरल पदार्थ के संबंध में किसी ने भी मालिकाना हक व दावा नहीं पेश किया। टैंकर के अंदर केवल ई वे–बिल व टैक्स इन्वायस व कुछ हाथ से लिखी कुछ पर्चियां मिली जिन पर क्रमांक व दिनांक दर्ज है। टैंकर में कुल पांच केबिन बने मिल, पहले केबिन पर 7000 लीटर, दूसरे पर 7000 लीटर, तीसरे पर 6000 लीटर व चौथे पर 7000 लीटर व पांचवे पर 7000 लीटर अंकित हैं। पांचों केबिन उपर से लोके के ढक्कन से बंद मिले। टैंकर पर लोहे के बक्से में पांच वाल्व दिये हुये है। सैंपल लेने के पश्चात जिस लोहे के बक्शे में पांचो वाल्व लगे है उस पर ताला लगाया गया। मौके पर दौरान कार्यवाही उक्त वाहन टैंकर, टैंकर में भरे हुए तरल पदार्थ के मालिकाना हक व दावे के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही थानाधिकारी द्वारा अपनी तहरीर में वाहन के पदार्थ चालन/परिचालक व मालिक की सूचना नहीं दर्ज की हुई थी। मौके पर टैंकर वाहन GJ12-BX-9181 के चालक केबिन से प्राप्त एक लैब रिपोर्ट को साथ लिया गया। **मौके पर किसी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ का लाईसेंस/वैध दस्तावेजात/ परमिट नहीं होने के कारण समस्त पदार्थ मात्रा 27920 लीटर को जब्त किया गया।** जब्त किये गये तरल पदार्थ मय वाहन टैंकर व वाल्व बॉक्स को चाबिया व वाहन टैंकर की चाबी को सफेद कपड़े के बैग में सील चपड़ी कर थाना में पदस्थापित कानिस्टेल श्री विजय कुमार की सुपुर्दगी में दिया गया व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से लिया गया। **दिनांक 25.01.2021 को श्री विनोद कुमार पुत्र सतलाल स्वामी निवासी सांवलसर, तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है : प्रार्थी की पिकअप जीप खाली थी उसमें कोई अवैध डीजल नहीं था व टैंकर की जब्ती की कार्यवाही उसमें भी प्रार्थी की पिकअप को जब्ती में नही लिया** लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

थानाधिकारी राजियासर द्वारा पिकअप को रिलीव नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पेश करने वाले **प्रार्थी श्री विनोद कुमार की ओर से ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति, गाडी की आरसी की फोटो प्रति, गाड़ी बीमा की पॉलिसी की फोटो प्रति पेश की गई। इसके उपरांत उनके कार्यालय के पत्रांक रसद/अभियोजन/2021—2022/6031 दिनांक 25.10.2021 द्वारा थानाधिकारी को लिखा गया कि "मुताबिक जांच उक्त पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 से कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद/जब्त नहीं किया गया है। अतः इस वाहन पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 की प्रकरण में कोई भी आवश्यकता नहीं हैं** इस संबंध में यदि यह वाहन पिकअप नम्बर RJ13-GC-6803 आपके पुलिस थाना स्तर पर किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो इसे इसके मालिक को सुर्पुद कर सूचना उनके कार्यालय को प्रेषित कर देवें। सहायक निदेशक (रसायन), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 8 मील चुंगी नाका मण्डोर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण की सैंपल रिपोर्ट S.No. RFSL(JOD)/6671/CAE/155/12/103/dated 13.11.21 के अनुसार प्रकरण में बरामद जब्तशुदा 27920 लीटर तरल पदार्थ है, जिसका फ्लैश प्वाईंट 59.5^{0}C (Abel.) है। कनक श्री कैमिकल्स (विक्रेता) चेतन ऑयल एण्ड कैमिकलक्स (क्रेता) व 3 अन्य जो भी शामिल है द्वारा **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन,विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की अ[illegible] उक्त जब्तशुदा "27920 किग्रा पेट्रोलियम पदार्थ व [illegible]181 को राजसात करने** की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी कनक श्री कैमिकल्स एवं चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जीगर रोडवेज के वाहन संख्या जीजे —12/बीएक्स 9182 में जब्त किया गया 27920 लीटर तरल पदार्थ कनक श्री कैमिकल, बीकानेर द्वारा **चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल को ई—वे बिल संख्या 7312 1772 4873 दिनांक 18.10.2021 राशि 21,08,518/— के द्वारा विक्रय किया गया है** प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि **कनक श्री कैमिकल के पास भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 28.09.2021 का लाईसेंस** है जबकि उनके द्वारा **चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल के पास लाईसेंस है अथवा नहीं? का उल्लेखर नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता है कि चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल के पास लाईसेंस नही है। प्रार्थी के अधिवतक्ता के स्वयं के कथनानुसार कनक श्री कैमिकल को बी क्लास के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खरीदने व स्टोरेज की एक सौ पांच किलो लीटर तक लाईसेंस परमिशन है** जबकि पत्रावली मे **उपलबध ई—वे बिल 7312 1772 4873 दिनांक 18.10.2021 राशि 21,08,518/— के अनुसार कनक श्री कैमिकल द्वारा उक्त 27920 लीटर तरल पदार्थ चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल को बेचान किया गया है** तथा **कनक श्री कैमिकल्स के पास उपलब्ध लाईसेंस 105 किलो लीटर अर्थात 105000 लीटर का खरीदने व**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्टोरेज का लाईसेंस है जबकि **फर्म द्वारा 27920 लीटर तरल पदार्थ चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल को बेचान किया गया है।** उक्त के अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में हस्तलिखित रसीदे पेश की है, जिनका संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है :

पृष्ठ संख्या	दिनांक	वाहन संख्या	किमी.	स्थान	मात्रा	विशेष विवरण
72	04.08.21 HSD	BX-9181	148060-146637 = 1423	घडसाना से ..... घडसाना से	25230 30120	29.07.21 to 04.08.21
73	11.08.21 HSD	BX-9181	150656-148060= 2598	..... से लुधियाना	28830	05.08.21 to 11.08.21
74	18.08.21 HSD	BX-9181	151960-150656= 1304	....	29620	12.08.21 to 18.08.21
75	30.08.21 HSD	BX-9181	157302-151960= 5342	घड़साना से लुधियाना	28600	19.08.21 to 30.08.21
76	HSD			गंगानगर से सोनीपत	10000	24.08.21 to 30.08.21
77	13.09.21 HSD	BX-9181	161815-157302= 4523	घडसाना से	10000 28730	01.09.201 to 13.09.21 01.09.21 to 07.09.21
78	HSD			घडसाना से	10000	07.09.21 to 13.09.21
80	20.09.21 HSD	BX-9181	164555-161815= 2740	घडसाना से लुधियाना	28610	14.09.21 to 20.09.21
81	14.10.21 HSD	BX-91[illegible]	171555-16[illegible]	घडसाना से .... [illegible]साना से श्रीगंगानगर	7000 27960	21.09.21 to to 14.1021 & 21.09.21 to 01.10.21
82	HSD			[illegible] से हनुमानगढ	28100	02.10.21 to 06.10.21
83	HSD			घड़साना से हिसार	28190	07.10.21 to 14.10.21
84		BX-9181			15000 5100= 20100	01.09.21 to 30.09.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त हस्तलिखित रसीदों से भी प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण वाहन संख्या जीजे—12/बीएक्स—9181 का प्रयोग अवैध रूप से तरल पदार्थ (डीजल) का अलग अलग स्थान(समस्त नाम स्पष्ट नहीं) पर विक्रय करने में प्रयोग कर रहे है। प्रत्येक हस्तलिखित रसीद पर दिनांक, पृष्ठ संख्या, एचएसडी, वाहन संख्या बीएक्स—9181 आदि अंकित किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण कनक श्री कैमिकल्स, चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स आदि के पास इतनी मात्रा में **पैट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नही है, जिससे भी यह साबित होता है कि जब्तशुदा समस्त तरल अप्रार्थी अवैध रूप से पंजाब/हरियाणा राज्य में अवैध रूप से परिवहन के कार्य में लिप्त है।**

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से वाहन संख्या जीजे—15/बीएक्स—9181 में कनक श्री कैमिकल्स के द्वारा विक्रय का अनुज्ञा न होने के बावजूद 27920 लीटर तरल पदार्थ विक्रय करते हुए जब्त हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ई—वे बिल के आधार पर कनक श्री कैमिकल द्वारा चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल को उक्त 27920 लीटर(27920 किग्रा) तरल पदार्थ 64/— प्रति किग्रा के अनुसार राशि 17,86,880.00/ + आईजीएसटी 3,21,638/— कुल राशि 21,08,518/— में विक्रय किया गया है। जिसे उक्त जब्तशुदा तरल पदार्थ पर कनक श्री कैमिकल्स का स्वामित्व नहीं होकर क्रय करने वाली फर्म चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल का हो जाता है। साथ ही **कनक श्री कैमिकल्स के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ/ तरल पदार्थ विक्रय करने का एवं चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल के पास उक्त मात्रा में [illegible] क्रय/विक्रय/भण्डारण /परिवहन करने व कब्जे में रखने [illegible] अनुज्ञा पत्र भी नही** है। जबकि राज्य सरकार ने अनुज्ञापत्र जारी [illegible] के सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2006 को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी कि[illegible] :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(13) क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि./विधि/2000–1,

जयपुर, 5 अक्टूबर, 2006

दिशा–निर्देश द्वारा विशिष्ट शासन सचिव व अति. खाद्य आयुक्त वास्ते समस्त जिला कलेक्टर्स/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान सॉल्वेंट जैसे ज्वलनशील उत्पादों से कारित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बचाव हेतु एवं भविष्य में सॉल्वेन्ट रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के तहत जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में तथा व्यापार एवं भण्डारण स्थल से सुरक्षित होने की सुनिश्चतता करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः

1. आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डारण स्थल से 300 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार की आबादी या रहवासी मकानात नहीं हो

....

12. यदि 2500 लीटर तक भंडारण क्षमता के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, तो अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदन पत्र में उल्लेखित व्यापार एवं भण्डारण स्थल के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व पुलिस विभाग सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/ग्राम पंचायत तथा रसद विभाग की रिपोर्ट प्राप्त की जावें, कि आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डार स्थल हेतु सुरक्षित है।

14. बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। जिला रसद अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही [illegible] जारी करेंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की [illegible] आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे [illegible] अनुज्ञापत्र धारकों के व्यापार/भंडारण स्थल की [illegible] करावें तथा अनुपयुक्त व्यापार स्थल व अवैध कारोबार की रो[illegible]म हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार उक्त तालिका के अनुसार भी अप्रार्थीगण जिगर रोडवेज के उक्त वाहन संख्या जीजे–12/बीएक्स 9181 का प्रयोग डीजल/तरल पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।**

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त 27920 तरल पदार्थ जो कनक श्री कैमिकल्स के द्वारा चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल लि. को विक्रय किया गया है का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 2500 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि कनक श्री कैमिकल्स द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति(License) न होने के बावजूद भी चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स को विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है है कि चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स, जिसके द्वारा उक्त तरल पदार्थ क्रय किया गया है, के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि वाहन [illegible] जीजे–12/बीएक्स 9181 चेतन ऑयल एण्ड कैमिकल्स के [illegible] लिया है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा उक्त [illegible] संख्या जीजे–12/बीएक्स 9181 मय 27920 लीटर डीजल/तरल पदार्थ के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि **पृष्ठ संख्या 14 की की अंकतालिका के हस्तलिखित पर्चियों के आधार पर जब्तशुदा टैंकर संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 के द्वारा भिन्न–भिन्न तारीखों को घड़साना से भिन्न भिन्न स्थानों पर डीजल का अवैध रूप से विक्रय एवं परिवहन किया गया** प्रतीत होता है। जिसके कनक श्री कैमिकल्स और चेतन ऑयल कैमिकल्स के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कि उक्त डीजल कहां से प्राप्त किया गया है और अंकित विभिन्न स्थानों पर किसे विक्रय किया गया है उनके पास कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र है अथवा नहीं?, स्पष्ट नहीं किया गया है। जिसके आधार पर वाहन संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3(4)(6)(7) की एवं पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 प्रावधानों की भी उल्लंघना है। **इसलिए उक्त जब्तशुदा टैंकर संख्या जीए 12/बीएक्स 9181 एवं 27920 लीटर तरल पदार्थ भी राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 3(4)(6)(7) की एवं पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999** प्रावधानों की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा** 27920 लीटर डीजल/तरल पदार्थ **एवं टैंकर संख्या जीजे–12/बीएक्स–9181 भी राजसात किये जाते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि जिगर रोडवेज के वाहन संख्या **जीजे–12/बीएक्स–9181** का अनुमानित **बाजार भाव 4.00 लाख से 4.50 लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 3.20 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 27920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 27920 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि उक्त प्रकरण 279[illegible] लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं उक्त वाहन संख्या जीजे–12/बीएक्स–9181 राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन पर**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3.20 लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:44 IST
Reason: SelfAttested